Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding dissemination of information pertaining to rules/schemes-laid.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): देश के सभी राष्ट्रवासियों का सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में वर्ष 2014 से लेकर आज तक दर्जनों महत्वपूर्ण अधिनियमों में राष्ट्रहित में बड़े बदलाव किए गए हैं और व्यापक जनहित में नये कानून भी बनाए गए हैं तथा इस संबंध में वे जन-सभाओं एवं "मन की बात" इत्यादि के माध्यम से देश की जनता को समय-समय पर जागरूक भी करते हैं । लेकिन, यह दुःखद है कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के अधिकारी बनाए गए नए अधिनियम और पुराने अधिनियमों में किए गए बदलाव की जानकारी सही तरह से आम जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश के गरीब और ग्रामीण लोग सरकार की नई योजनाओं के लाभ से वंचित रहते हैं ।

अतः इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम-कानूनों एवं योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंच सके, इसके लिए शासकीय अधिकारियों के प्रति जिम्मेवारी सुनिश्चित की जाए और ये अधिकारीगण केन्द्र एवं राज्य सरकारों के नियम-कायदों का इस प्रकार से अनुपालन करें कि नागरिकों का अहित न हो । इस संबंध में मेरा यह भी अनुरोध है कि कोई भी सरकारी अधिकारी / कर्मचारी यदि सरकारी नियम-कानूनों की अवहेलना करता है अथवा उनका सुचारू रूप से कार्यान्वयन न करके सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास करता है तो उसके विरूद्ध अविलम्ब दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उसे सरकारी नौकरी से तुरन्त बर्खास्त किया जाए एवं उन्हें पेंशन इत्यादि से संबंधित सभी सुविधाएं वंचित किए जाने हेतु केन्द्रीय सिविल सेवा नियम (आचरण), 1964 में प्रावधान किए जाएं तथा राज्य सरकारों को भी इससे संबंधित प्रावधान किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए ।